न्यायालय सहायक कलेक्टर

3. रामखिलाड़ी उर्फ खिल्लू नि० बाबा सरकार

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्र.स. 148/2012 -

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रा० आज पेशकुई वसूलाय उपरान्त तहसीलदार नरवर द्वारा रिपोर्ट पत्रांक-250 दिनांक-7/3/25 से प्राप्त हुई शामिल पत्रावली। मुजरी बलते वाद वादी से प्राप्त हुई शामिल पत्रावली। वाद पत्र में प्रतिवादी नरवर ने रिपोर्ट द्वारा निवेदन किया कि वाद पत्र में प्रतिवादी का नाम गलत हो चुका है, वाद नाम रामखिलाड़ी का है, बलराम नहीं। अतः उपरान्त बलराम की गलती पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि वाद पत्र में दर्ज विवादित आराजी खाता सं. 305, 111, 112, 113 की खसरा नम्बरान वाले भूमि पर स्थायी निवासी वादी रामखिलाड़ी पुत्र चेतराम का नाम खिल्लू पुत्र चेतराम दर्ज रिकार्ड है। परन्तु वादीगण रामखिलाड़ी से सम्बन्धित दस्तावेजात (आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड आदि) में रामखिलाड़ी के नाम से है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में खिल्लू के नाम से दर्ज है। तथा तहसीलदार नरवर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादी का नाम खिल्लू के स्थान पर रामखिलाड़ी उर्फ खिल्लू पुत्र चेतराम बार-बार नि. मर्ज शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की गई है। अतः उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य से वादी रामखिलाड़ी का नाम शुद्ध किया जाना उचित है।

जमा.सेवा. 2023-26

अतः आदेश है कि आराजी खाता सं. 305, 111, 112, 113 वाले भूमि तहसील नरवर पर वादी का नाम खिल्लू के स्थान पर रामखिलाड़ी उर्फ खिल्लू पुत्र चेतराम बार-बार नि. मर्ज शुद्ध किया जाता है। तथा वर्तमान गलत नाम [illegible] तहसीलदार नरवर को आदेश [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] जाये।

प्रा. [illegible] कुमार [illegible]

तहसीलदार

सहायक कलेक्टर

नरवर जिला अलवर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:45:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner